प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18 जून, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेजपाल सिंह उर्फ मुखिया पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-31436/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10.10.2023), दिनांक 19.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेजपाल सिंह उर्फ मुखिया पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी ग्राम-पिलखतरा, थाना-जलेसर, जिला-एटा का है। अवैध सम्बन्धों की रंजिश दिनाक 13-11-2008 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी रायफलों व अवैध असलहों से गोली मारकर सत्यभान, भूरा उर्फ उदयपाल, कु0 विजय नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एसटी नं0-23/2010, धारा-148,302/149 आई0पी0सी0 में मा॰ अपर सत्र / सत्र न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, एटा के आदेश दिनांक 08.06.2011 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित कि□या गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.10.2012 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। (2) जीएसटी नं0-180/2009, धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम में मा0 विशेष न्यायाधीश गैगस्टर एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-02, एटा के आदेश दिनांक 30.01.2023 द्वारा 08 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी ने दिनांक 28.07.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह 04 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 06 माह 13 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29.08.2023 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट-05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि अवैध सम्बन्धों की रंजिश दिनाक 13-11-2008 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी रायफलों व अवैध असलहों से गोली मारकर सत्यभान, भूरा उर्फ उदयपाल, कु0 विजय नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों के समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी तेजपाल सिंह उर्फ मुखिया पुत्र श्री बाबू सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेजपाल सिंह उर्फ मुखिया (बन्दी संख्या-18821) पुत्र बाबू सिंह, निवासी जनपद-एटा की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-570/2025/3901(1)/22-2-2023-17(1248)/2023,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-570/2025/3901/22-2-2023-17(1248)/2023

दिनांकः 18 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तेजपाल सिंह उर्फ मुखिया पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी ग्राम-पिलखतरा, थाना-जलेसर, जिला-एटा का है। अवैध सम्बन्धों की रंजिश दिनाक 13-11-2008 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी रायफलों व अवैध असलहों से गोली मारकर सत्यभान, भूरा उर्फ उदयपाल, कु0 विजय नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) एसटी नं0-23/2010, धारा-148,302/149 आई0पी0सी0 में मा० अपर सत्र / सत्र न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र, एटा के आदेश दिनांक 08.06.2011 द्वारा मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.10.2012 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। (2) जीएसटी नं0-180/2009, धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम में मा0 विशेष न्यायाधीश गैगस्टर एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-02, एटा के आदेश दिनांक 30.01.2023 द्वारा 08 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी ने दिनांक 28.07.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष, 00 माह 04 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 06 माह 13 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 29.08.2023 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट-05 बिन्दुओं की आख्या में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध जघन्य होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त न होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि अवैध सम्बन्धों की रंजिश दिनाक 13-11-2008 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेंसी रायफलों व अवैध असलहों से गोली मारकर सत्यभान, भूरा उर्फ उदयपाल, कु0 विजय नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों के समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद अन्तिम रूप से समाप्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा समिति की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी तेजपाल सिंह उर्फ मुखिया पुत्र श्री बाबू सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in